International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.173-174

जेंडर इश्यू और मीडिया

श्रीमती पुष्पा मीना*

प्रस्तावना

वर्षो से समाजशास्त्री एवं गैर समाजशास्त्री हमारे समाज में स्त्रियों की समस्याओं के मूल्यांकन एवं उनकी प्रस्थिति में आ रहे परिवर्तनों के अध्ययन मे प्रयत्नशील रहे। कुछ प्रगतिशील विचारों ने जब स्त्रियों के उत्तराधिकार, सार्वजनिक कार्यो में उनकी भागीदारी एवं विवाह में उनके कानूनी अधिकारों के सन्दर्भ में लिखा है अन्य कुछ विचारको ने पुरूषों द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवस्था तथा विद्यमान रीति–रिवाजों की विस्तृत विवेचना की है। वैद्यानिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठने के लिए चाहे कितने ही कदम उठाए गए हो व्यावहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया तथा उनका तिरस्कार, अपमान व प्रताड़ना अभी भी जारी है। अब भी उनका मत जानने के लिए गंभीरता नही दर्शाई जाती, उन्हे पुरूषों के समान नहीं समझा जाता, तथा उनको उचित सम्मान नही दिया । यह सभी स्थितियॉ लैंगिक असमानता को दर्शाती है। जो पूर्णतः सामाजिक सांस्कृतिक देन है।

इस दौर में चूंकि सम्पूर्ण समाज ग्लोबलाइजेशन में तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिणामतः जेंडर इश्यू (लैंगिंक असमानता) का मुद्दा पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है।

जेंडर का सम्बन्ध समाज में स्त्री पुरूष के बीच गैर बराबरी सेहै। यह अंग्रेजी में सेक्स या लिंग भेद से भिन्न है। लिंग भेद का सम्बन्ध महिला पुरूष के बीच शारीरिक बनावट मे अन्तर से हैं वहीं जेंडर का सम्बन्ध सामाजिक सांस्कृतिक तोर पर पैदा किये जाना वाला विभेद है।

अधिकांश नारीवादी विचारकों का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज की संरचना जेंडर विभेद पर आधारित होती है। जैसे –पुत्र की चाह, कन्या–हत्या, स्त्री–पुरूष मे भेदभाव व सामाजिक कार्यो मे स्त्रियों का पुरूषों की अधीनता। जेंडर हमें इस सामाजिक सांस्कृतिक विभेद को समझने का नजरिया प्रदान करता है ।यह सर्वविदित सत्य है कि महिला पुरूष जैविकीय संरचना में एक दूसरे से भिन्न है पर इनकी पारिवारिक सामजिक आर्थिक व राजनैतिक भूमिका का निर्धारण जेंडर करता है। जेंडर अस्मिता की पहचान का सबसे मूक घटक है जो महिला व पुरूष की सीमाओं को निर्धारित करने और दुनियां को देखने के नजरियों को नाटकीय भूमिका प्रदान करता है।

ब्रिटिश समाजशास्त्री व नारीवादी लेखिका ऐना आक्ले स्पष्ट रुप से बताती है कि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है जिसमें स्त्रीत्व और पुरूषत्व के गुणों को गढने के सामाजिक नियम व कानूनों का निर्धारण समाज करता है। जिसमें व्यक्ति की पहचान गौण होती है और सामाजिक भूमिका अहम्। नारीवादी विचारक मानते है कि शारीरिक बनावट प्राकृतिक व जैविकीय घटक है लेकिन मौजूदा अधीनता उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक असमानता ने पैदा की ।

वर्तमान सन्दर्भ में चूंकि समाज उत्तर–औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर है परिणामतः जेंडर यानी लिंग भेद का विरोध किया जा रहा है। मीडिया जिसमें प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र और पत्रिकाऐं) इलैक्ट्रॉनिक मीडिया

* सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बॉदीकुई, राजस्थान।

(टेलिविजन) और रेडियों ने अहम् भूमिका निभाई है। अधिकांश टी.वी. चैनल 24 घण्टे चलते रहते है। उनमें जेंडर जैसे इश्यूज को जीवंतता और आत्मीयता के साथ प्रस्तुत कर रहे है। परिणामतः जन साधारण के विचारों को प्रभावित किया है। अर्थात् मीडिया ने महिलाओं को एक अधीनता से उठाकर समानता का दर्जा दिलाया है। आज महिलाऐं मीडिया के माध्यम से स्वयं सम्बन्धी तमाम योजनाओं, अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर रही है। मीडिया के कारण आज महिलाओं पर होने वाले जुर्म सामने आ रहे है जैसे दिल्ली मे निर्भया कांड जिसमें मीडिया की अहम् भूमिका रही है। परिणामतः उसके परिवार को इंसाफ मिला। आज मलाला युसूफ को कौन नहीं जानता, सबरीवाला में महिला प्रवेश सम्बन्धी मुद्दा भी मीडिया के कारण सम्पूर्ण भारत में चर्चा का विषय रहा । अर्थात् महिलाओं सम्बन्धी मुद्दे कभी भी पहले इतने चर्चा में नहीं रहे जितने आज है। यह सही है कि मीडिया ने स्त्रियों को लेकर पुरूषात्मक समाज की मानसिकता में परिवर्तन प्रारम्भ किया है। परिणामतः तमाम राजनैतिक निर्णय जो महिलाओं के लिए हानिकारक थे मीडिया के प्रभाव मे बदले गए मीडिया ने महिलाओं को एक पुरूषात्मक अधीनता से उठाकर समानता का दर्जा दिलाया है लेकिन सामाचार पत्रों एवं ऐजेंसियों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है यानी ऊँट के मुँह में जीरा। यद्यपि कुछ निजी टेलीविजन चैनलों मे रिपोटिंग एवं प्रोडेक्शन में युवा महिलाऐं अधिक दिखाती हैं लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि यह चैनल लैंगिक बराबरी के पक्षधर है बल्कि महिलाओं के प्रति वस्तुपरक सोच के रुप में टीआरपी बढाने का प्रयास मात्र दिखाई देता है। बाजारीकरण और व्यावसायिकता के प्रभाव में मीडिया भी महिला सम्बन्धी रिपोटिंग मे अक्सर भेदभाव व पक्षपात करता हैं। अधिकांश इलैक्ट्रोनिक मीडिया मे महिलाओं की योग्यता एवं क्षमता की चर्चा नहीं की जाती है लेकिन सुन्दरता बढ़ाने के उपायों एवं ग्लैमरस स्वरुप की चर्चा अधिक की जाती है। प्रगतिशील और आंदोलनी तेवर वाली स्त्रियों, आधुनिक विचारधारा वाली अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वाली सड़को पर नारे लगाते जुलुस निकालने वाली अर्थात् आम–साधारण महिलाओं की कहीं चर्चा नही की जाती है।

यह सही है कि मीडिया ने महिला को एक पृथक स्वत्रंत अस्तित्व के रुप में पहचान बनाने का प्रयास तो किया है किन्तु आंशिक पुरुषवादी विचारधारा से ग्रस्ति अवश्य दिखाई देता है। तभी तो महिला सम्बन्धी रिपोटिंग मे महिलाओं को दोषी दर्शाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे शादीशुदा महिला को प्रेमी द्वारा भगा ले जाने से सम्बन्धित खबर को ''दो बच्चों की मॉ प्रेमी संग फुर्र''। रेप पीडित महिला की पहचान अक्सर मीडिया उसके घर पत्ते या पिता के नाम से लींक कर देता है। हॉल ही में उन्नाव रेप पीडिता को इतना दिखाया गया है जिसमें उसके चेहरे को छोड़कर उसकी साफ फोटो दिखाई जा रही है। यदि महिला शराब के नशे मे देखी जाए जो मीडिया उसे चटपटी खबर बताता है जबकि हजारों पुरूष शराब पीकर हुडढंग करते रहे है तो खबर नहीं बनती अर्थात् मीडिया भी दोहरे मापदण्ड पर टिका है।

अंततः कहा जा सकता है कि जेंडर इश्यू एक ऐसा विषय है जिसने समाज को दो भागों में बॉट दिया है किन्तु एक स्वच्छ, सुन्दर एवं सुरक्षित समाज के लिए जेंडर यानी लिंगभेद को सामाजिक स्तर पर समाप्त किया जाये और मीडिया इसमें महत्वपूर्ण एवं अहम् भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- राम आहुजा– भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन
- राजस्थान पत्रिका – दिनांक 31.07.019
- एन.सी.ई.आर.टी. समाजशास्त्र पुस्तक– भारतीय समाज
- एन.सी.ई.आर.टी. समाजशास्त्र – भारतीय में समाजिक परिवर्तन एवं विकास
- Gita sen and ! Mors : Gender equity in Health, Routhledge Publication 5Nov. 2009

❖◆❖